



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3052]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 27, 2016/पौष 6, 1938

No. 3052]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 27, 2016/PAUSA 6, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2016

आय-कर

का. आ. 4168(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (छत्तीसवाँ संशोधन) नियम, 2016 है।
(2) ये 1 अप्रैल, 2016 से प्रवृत्त होंगे।
- आय-कर नियम, 1962 के नियम 67 में उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-
“(2) उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट विनिधान की रीति निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी, अर्थात्:-

सारणी

विनिधान की पद्धति

क्रम सं.	विनिधान	स्तंभ (2) के निर्दिष्ट मदों में विनिधान किए जाने वाली रकम की प्रतिशतता
1	2	3
1	सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित विनिधान: (क) सरकारी प्रतिभूतियां;	न्यूनतम 45 प्रतिशत और 50 प्रतिशत तक

	<p>(ख) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 की धारा 2(ज) में यथापरिभाषित अन्य प्रतिभूतियां जिनका मूलधन और उन पर ब्याज केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से और बिना शर्त के अनुदत्त की गई है; और/या</p> <p>(ग) सरकारी प्रतिभूतियों में विनिधान और भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड द्वारा विनियमन के लिए समर्पित निधियों के रूप में स्थापित म्यूचुअल फंड की यूनिटें।</p>	
II	<p>ऋण लिखत और संबंधित विनिधान</p> <p>(क) निगमित निकायों जिनके अंतर्गत बैंक और लोक वित्तीय संस्थाएं हैं, द्वारा जारी सूचीबद्ध (या नवीन जारी की दशा में सूचीबद्ध किए जाने हेतु प्रस्तावित) ऋण प्रतिभूतियां, जिनका विनिधान की तारीख से न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता अवधि तीन वर्ष है;</p> <p>(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी बेसल III टियर-I बांड;</p> <p>(ग) अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम और एशिया विकास बैंक की संस्थाओं द्वारा जारी कम से कम तीन वर्ष की बकाया परिपक्वता वाले रुपया-बांड ;</p> <p>(घ) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी एक वर्ष से अन्यून अवधि की सावधि जमा रसीदें, जो हाल के वर्षों के लिए प्रकाशित वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हैं, जैसा कि उनके द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रकाशित किए जाने के लिए अपेक्षित हैं :</p> <p>(i) ठीक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में लाभ घोषित किया जाना ;</p> <p>(ii) न्यूनतम नौ प्रतिशत पूंजी से जोखिम धारित आस्तियां अनुपात या भारतीय रिजर्व बैंक के प्रचलित मानकों द्वारा आज्ञापक, जो भी अधिक हो, बनाए रखना</p> <p>(iii) शुद्ध अग्रिमों से चार प्रतिशत से अनधिक शुद्ध अपालन आस्तियां होना ; और</p> <p>(iv) 200 करोड़ रुपयों से अन्यून न्यूनतम शुद्ध मूल्य होना ; और/या</p> <p>(ड.) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा यथाविनियमित ऋण म्यूचुअल निधियों की इकाइयां ;</p> <p>(च) निम्नलिखित अवसंरचना संबंधी ऋण लिखत;</p> <p>(i) विकास या विकास के कारबार में या अवसंरचना के प्रचालन और अनुरक्षण या अल्पलागत आवास के विकास, विनिर्माण या वित्त में मुख्य रूप से लगे हुए निगमित निकाय द्वारा जारी सूचीबद्ध (या नवीन जारी की दशा में सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित) ऋण प्रतिभूतियां और भारतीय रेल या किसी निगमित निकाय द्वारा जारी प्रतिभूतियों सहित जिसमें इसके अधिकतर शेयर हैं या सरकार का कोई प्राधिकरण जो निगमित निकाय नहीं हैं और जिसे अवसंरचना के विकास को प्रोन्नत करने के प्रयोजन के लिए मुख्यतया बनाया गया है:</p> <p>परंतु बचनबंध की गई कोई अवसंरचनात्मक बाध्यता या अवसंरचना के कारबार में लगे हुए किसी कार्रपोरेट निकाय द्वारा जारी की गई किसी</p>	न्यूनतम 35 प्रतिशत और 45 प्रतिशत तक।

	<p>प्रतिभूति के लिए केंद्रीय सरकार, भारतीय रेल या केंद्रीय सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा जारी सांत्वना पत्र, जो सांत्वना पत्र या वचनबंध की यह बाध्यता के निबंधनों के होते हुए भी, वर्ग (घ) के उपवर्ग (i) के अधीन प्रतिभूति के रूप में उसके सम्मिलित नहीं कर सकता है, इस उपवर्ग के अधीन पात्र प्रतिभूति समझी जाएगी;</p> <p>(ii) किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी किए गए अवसंरचना और वहनीय आवास बांड जो वर्ग (घ) के उपवर्ग (ii) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हों;</p> <p>(iii) किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के रूप में प्रचालित और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित अवसंरचना ऋण निधियों द्वारा जारी की गई सूचीबद्ध (या नवीन इश्यू की दशा में सूचीबद्ध किए जाने हेतु प्रस्तावित) प्रतिभूतियां;</p> <p>(iv) किसी म्यूचुअल निधि के रूप में प्रचालित और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनियमित अवसंरचना ऋण निधियों द्वारा जारी की गई सूचीबद्ध (या नवीन इश्यू की दशा में सूचीबद्ध किए जाने हेतु प्रस्तावित) प्रतिभूतियां;</p>	
iii	<p>अल्पावधि ऋण लिखत और संबंधित विनिधान</p> <p>(क) धन विपणन लिखत ;</p> <p>(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनियमित तरल म्यूचुअल निधियों की इकाइयां</p> <p>(ग) ऐसी अनुसूचित बैंकों द्वारा जारी की गई एक वर्ष की अवधि तक की सावधि जमा रसीदें, जो वर्ग (घ) के उपवर्ग (ii) में वर्णित सभी शर्तों को पूरा करते हों;</p>	पांच प्रतिशत तक
iv	<p>इक्विटी और संबंधित विनिधान</p> <p>(क) बाम्बे स्टाक एक्सचेंज या राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध निगमित निकाय के शेयर, जिनमें, -</p> <p>(i) विनिधान की तारीख को पांच हजार करोड़ रुपये से अन्यून की विपणन पूंजी हो; और</p> <p>(ii) शेयरों के साथ व्युत्पत्तियां, दो स्टाक एक्सचेंजों में से किसी एक में व्यापार के लिए हों; और/या</p> <p>(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनियमित म्यूचुअल निधियों की इकाइयां जिनकी बाम्बे स्टाक एक्सचेंज या राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध निगमित निकायों के शेयरों में विनिधान किए गए न्यूनतम 65 प्रतिशत शेयर हों;</p> <p>(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनियमित एक्सचेंज ट्रेडित फंड्स/ इंडैक्स फंड जो बाम्बे स्टाक एक्सचेंज संवेदी सूचकांक या राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज निफ्टी फिफ्टी सूचकांक के पोर्ट फोलियो की प्रतिकृति बनाता हो;</p> <p>(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी एक्सचेंज क्रेडिट फंड्स विनियमित म्यूचुअल निधियों जो विशिष्टतः भारत सरकार के निगमित निकाय में शेयर धारण के अपविनिधान के लिए हैं;</p> <p>(ड.) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनियमित एक्सचेंज ट्रेडित डेरिवेटिव जिसमें किसी अनुज्ञेय सूचीबद्ध स्टॉक की अधःस्थ या बाड़ा लगाने के एकमात्र प्रयोजन सहित कोई अनुज्ञेय सूचकांक हों</p>	न्यूनतम पांच प्रतिशत और पंद्रह प्रतिशत तक

v	आस्ति-समर्थित, न्यास व्यवस्थित और प्रकीर्ण विनिधान (क) बंधक आधारित प्रतिभूतियां या निवासीय बंधक आधारित प्रतिभूतियां; (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनियमित स्थावन संपदा विनिधान न्यासों द्वारा जारी एकक ; (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनियमित आस्तियां-आधारित प्रतिभूतियां (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनियमित अवसंरचना विनिधान न्यासों के एकक ।	पांच प्रतिशत तक
---	--	-----------------

परंतु उक्त सारणी के खंड (झ) के उपखंड (ख) के अधीन विनिधान के लिए पोर्टफोलियो निधि के कुल पोर्टफोलियो के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे :

यह और कि उक्त सारणी के खंड (झ) विनिधानों के अनुपात को ध्यान दिए बिना, किसी वैयक्तिक म्यूचुअल फंड किसी न्यास का एक्सपोजर उक्त खंड के उपखंड (ग) के अधीन, जिसे सरकारी प्रतिभूतियों में विनिधान के लिए समर्पित निधि के रूप में गठित किया गया है, किसी समय पर उसके कुल पोर्ट फोलियो के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और उनमें किए गए नए विनिधान वर्ष में नई एंक्रीशिन के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परंतु यह और कि खंड (ii) के उपखंड (ख) में दिए गए विनिधान केवल ऐसे टियर-1 बांड में किए जाएंगे जो बांड के प्रारंभिक प्रस्थापना की दशा में सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित है और यदि इस प्रकार टियर-1 बांड सूचीबद्ध किए जाते हैं और नियमित रूप से उनका व्यापार किया जाता है तो गौण मार्किट से किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के ऐसे बांड में विनिधान किया जाएगा ।

परंतु यह भी कि उक्त सारणी के खंड (ii) के उपखंड(ख) में निर्दिष्ट टियर-1 बांड में किसी भी समय विनिधान किया गया कुल पोर्टफोलियो निधि के कुल पोर्टफोलियो के 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा; और

- (i) प्रारंभिक प्रस्थापना में कोई विनिधान प्रारंभिक प्रस्थापना के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;
- (ii) किसी भी समय निधि द्वारा धारित किसी विशिष्ट बैंक के टियर 1 बांड का सकल मूल्य बैंक द्वारा जारी ऐसे बांड के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा

परंतु यह भी कि उक्त सारणी के खंड (ii) के उपखंड(ग) के लिए किसी घरेलू या अंतरराष्ट्रीय रेटिंग अधिकरण द्वारा एए या उससे ऊपर की एक रेटिंग स्वीकार्य होगी :

परंतु यह भी कि उक्त सारणी के खंड 1 के उपखंड (ख) के अधीन समाविष्ट ऋण प्रतिभूतियां उक्त सारणी के खंड (ii) के अधीन समाविष्ट प्रतिभूतियों से अलग रखी जाएंगी ।

परंतु यह और भी कि खंड (ii) के उपखंड (ड.) में वर्ष में ऋण म्यूचुअल निधियों में नए विनिधान, विनिधान किए गए नए एंक्रीशिन के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा तथा उनमें विनिधान किया गया पोर्ट फोलियो किसी भी समय निधि के कुल पोर्ट फोलियो के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

परंतु यह भी कि उक्त सारणी के खंड (ii) के उपखंड (क) (ख) और (च)की मद (i) से (iv) तक के अधीन विनिधान की ऐसी प्रतिभूतियों में किया जाएगा जिसकी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) विनियम, 1999 के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग अधिकरणों से लागू रेटिंग स्केल में न्यूनतम एए रेटिंग या समकक्ष होगी ।

परंतु यह भी कि उक्त सारणी के खंड (ii) के उपखंड (च) की मद (iii) की दशा में रेटिंग नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनी से संबंधित होगी और उक्त सारणी के खंड (ii) के उपखंड (च) की मद (iv) के लिए रेटिंग निधि के स्कीम के विनिधान ग्रेड से अधिक रेटिड पात्र प्रतिभूतियों में विनिधान संबंधित होगा :

परंतु यह भी कि यदि प्रतिभूतियां या अस्तित्व दो से अधिक रेटिंग अभिकरणों द्वारा रेट की गई है तो सभी रेटिंग में से दो न्यूनतम पर विचार किया जाएगा :

परंतु यह भी कि उक्त सारणी के खंड (ii) के उपखंड (क), (ख) और उपखंड (च) के अधीन विनिधान, जिनसे न्यूनतम एए रेटिंग की अपेक्षा की जाती है, तो एए से नीचे विनिधान गेड रेटिंग वाली प्रतिभूतियों में अनुज्ञेय होंगी, यदि भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन जारी क्रेडिट डिफाल्ट स्वाइप से पूरी तरह समाविष्ट हों, ऐसी प्रतिभूतियों के लिए डिफाल्ट की जोखिम की दशा में तथा अधःस्थ प्रतिभूतियों के साथ क्रीत तथा ऐसे स्वाइप की क्रय रकम को इस खंड के अधीन विनिधान समझा जाएगा:

परंतु यह भी कि उक्त सारणी के खंड (iii) के उपखंड (क) में वर्णित विनिधान जो कागजपत्र में निगमित निकाय द्वारा जारी की गई हो केवल ऐसी लिखतों में किए जाएंगे जिनकी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग अभिकरणों द्वारा ए1+ रेटिंग हो तथा यदि कागजपत्र की रेटिंग दो से अधिक रेटिंग अभिकरणों द्वारा की गई हो तो दो निम्नतम रेटिंग पर विचार किया जाएगा :

परंतु यह भी कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी एक वर्ष की अवधि तक निक्षेप के प्रमाणपत्रों में उक्त सारणी के खंड (iii) के उपखंड (क) में विनिधान बैंक से उक्त सारणी के खंड (ii) के उपखंड (घ) में वर्णित सभी शर्तों को पूरा करने की अपेक्षा करेगा :

परंतु यह भी कि उक्त सारणी के खंड (iv) के उपखंड (ख) में वर्णित ऐसे म्यूचुअल फंड में विनिधान किए गए सकल पोर्टफोलियो किसी भी समय खंड के कुल पोर्ट फोलियो के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे तथा ऐसे म्यूचुअल फंड नया विनिधान वर्ष में विनिधान किए गए नए एक्वीशन्स के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परंतु यह भी कि संविदा मूल्य के संबंध में डेरीवेटिव में विनिधान किया गया पोर्ट फोलियो उक्त सारणी के खंड (iv) के उपखंड (क) से (घ) में विनिधान किए गए पोर्ट फोलियो के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परंतु यह भी कि उक्त सारणी के खंड (v) के अधीन विनिधान केवल सूचीबद्ध लिखतों या नए इश्यू, जो सूचीबद्ध किए जाने हेतु प्रस्तावित है, में होगा ।

परंतु यह भी कि उक्त सारणी के खंड (v) के अधीन विनिधान केवल ऐसी प्रतिभूतियों में होगा, जिनका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग अभिकरण) विनियम, 1999 के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रीकृत कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग अभिकरणों से लागू रेटिंग स्कीम में न्यूनतम एए या समतुल्य रेटिंग हो :

परंतु यह भी कि उक्त सारणी के खंड (v) के उपखंड (ख) से (घ) की दशा में रेटिंग न्यास को चलाने वाले प्रायोजक अस्तित्व की रेटिंग से संबद्ध होगा :

परंतु यह भी कि यदि प्रतिभूतियां/अस्तित्व दो से अधिक रेटिंग अभिकरण द्वारा रेट किए गए हो तो दो निम्नतम रेटिंग पर विचार किया जाएगा :

परंतु यह भी कि परिपक्वता से पूर्व पुट विकल्प, अवधि या आस्ति स्वच या किसी आस्ति के व्यापार के प्रयोग से उत्पन्न कोई आगम किसी अनुज्ञेय वर्ग में ऐसी रीति में विनिधान की जा सकेगी जिससे कि किसी दिए गए समय पर उस वर्ग के अंतर्गत आस्तियों की प्रतिशतता उस वर्ग के लिए विहित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी और उपवर्गों, यदि कोई हो, के लिए विहित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी ।

तथापि, किसी भारतीय रिज़र्व बैंक आदेशित सरकारी ऋण स्विक के कारण आस्ति स्विक इस सीमा के अंतर्गत नहीं आएगा :

परंतु यह भी कि फंड में नए एक्रीशन इस विनिधान पैटर्न में, ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट अधिकतम अनुज्ञेय प्रतिशतता के अनुरूप हो, विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय वर्गों में विनिधान की जाएगी और ऐसे विनिधान प्रवर्ग में विनिधान की गई समझी जाएगी, जब कि ऐसी अन्य सीमाओं, जो अनुज्ञेय विनिधानों के विभिन्न उपवर्गों के लिए लागू किए गए हों, के साथ भी अनुपालन किया जाएगा। परंतु यह भी कि टर्न ओवर अनुपात, वर्ष में व्यापारित प्रतिभूतियों का मूल्य होते हुए वर्ष के प्रारंभ में और वर्ष के अंत में पोर्ट फोलियो के औसत मूल्यों से विभाजित, दो से अधिक नहीं होना चाहिए :

परंतु यह भी कि सारणी में वर्णित किसी लिखत की रेटिंग की दशा में रेटिड किए जाने के लिए और उनकी रेटिंग विनिधान ग्रेड से नीचे रहना, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 की उपधारा (1क) के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक क्रेडिट रेटिड अभिकरण द्वारा पुष्ट किया गया हो, एक्जिट के विकल्प का प्रयोग ऐसी रीति में किया जाएगा और उस पर ऐसी रीति में विचार किया जाएगा जो यथासमुचित हो और अभिदाताओं के सर्वोत्तम हित में हो तथा विनिधान किया गया फंड सारणी में उपबंधित रीति के अनुसार विनिधान किया जाएगा :

परंतु यह भी कि यदि फंड ने आस्तियों के प्रबंधन के लिए वृत्तिक फंड प्रबंधक या आस्ति प्रबंधक की सेवाओं को नियोजित किया है, जिनको संदाय प्रत्येक संव्यवहार के मूल्य के आधार पर किया जाता है उनके द्वारा विनिधान की गई निधियों का मूल्य किसी म्यूचुअल फंड में जो सारणी या एक्सचेंज ट्रेडिड फंडस या इंडेक्स फंड के उपबंधों में वर्णित है, उनको देय संदाय में से गणना करते घटाया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1 - इस उपनियम में विनिर्दिष्ट विनिधान की रीति पूर्ववर्ती वर्ष में निधि में विनिधान योग्य धन की सकल रकम को लागू होंगे।

स्पष्टीकरण 2- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए -

- (i) फंड में नए एक्रीशन भूतकाल से विनिधान न किए गए निधियों के कुल योग और प्राप्तियां जैसे निधियों के अभिदान, लाभांश, ब्याज, कमीशन, 1 अप्रैल, 2015 से पूर्व किए गए विनिधान की परिपक्वता पर प्राप्त रकम इत्यादि, जैसे कि वित्तीय वर्ष के दौरान बाध्यकारी आउटगो से घटाई जाती है।
- (ii) अभिव्यक्ति “सरकारी प्रतिभूतियों” के वहीं अर्थ होंगे जो उनके प्रतिभूतियां संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ख) में है;
- (iii) सारणी के खंड (ii) के उपखंड (च) के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति “अवसंरचना” का वहीं अर्थ होगा जो वित्तीय सेवा विभाग की अधिसूचना तारीख 2 मार्च, 2015 (फाइल सं. 11/14/2013-पी आर) में है।
- (iv) अभिव्यक्ति “लोक वित्तीय संस्थाओं” के वहीं अर्थ होंगे जो उनके कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 1) की धारा 2 के अधीन है;
- (v) अभिव्यक्ति “पब्लिक सैक्टर कंपनी” के वहीं अर्थ होंगे जो उनके आयकर अधिनियम की धारा 2 के खंड 36क में है;

- (vi) अभिव्यक्ति “प्रतिभूतियों” के वही अर्थ होंगे जो उनके प्रतिभूतियां संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में हैं।

[अधिसूचना सं. 122/2016, फा. सं. 370142/4/2016-टीपीएल]

अभिषेक गौतम, अवर सचिव, (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और समय-समय पर संशोधित किए गए हैं, अंतिम बार अधिसूचना सं. का.आ. 4110(अ) तारीख 21 दिसम्बर, 2016 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2016

INCOME-TAX

S.O. 4168(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (36th Amendment) Rules, 2016.
(2) It shall be deemed to have come into force from the 1st day of April, 2016.
2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 67, for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:-
“(2) The manner of investment referred to in sub-rule (1) shall be in accordance with the following Table, namely:-

TABLE
INVESTMENT PATTERN

Sl. No.	INVESTMENT	Percentage amount to be invested in items referred to in column(2)
(1)	(2)	(3)
i.	Government Securities and Related Investments: (a) Government Securities; (b) other securities, as defined in section 2(h) of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, the principal whereof and interest whereon is fully and unconditionally guaranteed by the Central Government, or any State Government; and/or (c) units of mutual funds set up as dedicated funds for investment in Govt. securities and regulated by the Securities and Exchange Board of India.	Minimum forty-five per cent. and upto fifty per cent.
ii.	Debt Instruments and Related Investments: (a) Listed (or proposed to be listed in case of fresh issue) debt securities issued by bodies corporate, including banks and public financial institutions, which have a minimum residual maturity period of three years from the date of investment; (b) Basel III Tier-I bonds issued by scheduled commercial banks under the guidelines issued by the Reserve Bank of India;	Minimum thirty-five per cent. and upto forty-five per cent.

	<p>(c) Rupee Bonds having an outstanding maturity of at least three years issued by institutions of the International Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation and Asian Development Bank;</p> <p>(d) Term Deposit receipts of not less than one year duration issued by scheduled commercial banks, which satisfy the following conditions on the basis of published annual reports for the most recent years, as required to have been published by them under any law for the time being in force:</p> <p>(i) having declared profit in the immediately preceding three financial years;</p> <p>(ii) maintaining a minimum Capital to Risk Weighted Assets Ratio of nine per cent., or mandated by prevailing norms of Reserve Bank of India, whichever is higher;</p> <p>(iii) having net non-performing assets of not more than four per cent. of the net advances; and</p> <p>(iv) having a minimum net worth of not less than two hundred crore rupees and/or</p> <p>(e) units of debt mutual funds as regulated by Securities and Exchange Board of India;</p> <p>(f) The following infrastructure related debt instruments;</p> <p>(i) Listed (or proposed to be listed in case of fresh issue) debt securities issued by body corporates engaged mainly in the business of development or operation and maintenance of infrastructure, or development, construction or finance of low cost housing and including securities issued by Indian Railways or any of the body corporates in which it has majority shareholding, or any Authority of the Government which is not a body corporate and has been formed mainly with the purpose of promoting development of infrastructure:</p> <p>Provided that any structural obligation undertaken or letter of comfort issued by the Central Government, Indian Railways or any Authority of the Central Government, for any security issued by a body corporate engaged in the business of infrastructure, which notwithstanding the terms in the letter of comfort or the obligation undertaken, fails to enable its inclusion as security covered under sub-clause (b) of clause (i), shall be treated as an eligible security under this sub-category;</p> <p>(ii) Infrastructure and affordable housing Bonds issued by any scheduled commercial bank, which meets the conditions specified in sub-clause (d) of clause (ii);</p> <p>(iii) Listed (or proposed to be listed in case of fresh issue) securities issued by Infrastructure debt funds operating as a Non-Banking Financial Company and regulated by the Reserve Bank of India;</p> <p>(iv) Listed (or proposed to be listed in case of fresh issue) units issued by Infrastructure Debt Funds operating as a Mutual Fund and regulated by Securities and Exchange Board of India.</p>	
iii.	<p>Short-term Debt Instruments and Related Investments</p> <p>(a) Money market instruments;</p> <p>(b) Units of liquid mutual funds regulated by the Securities and Exchange Board of India.</p> <p>(c) Term Deposit Receipts of up to one year duration issued by such scheduled commercial banks which satisfy all the conditions mentioned in sub-clause (d) of clause (ii).</p>	Upto five per cent.
iv.	<p>Equities and Related Investments</p> <p>(a) Shares of body corporates listed on Bombay Stock Exchange or National Stock Exchange, which have,-</p> <p>(i) Market capitalization of not less than five thousand crore rupees as on the date of investment; and</p> <p>(ii) Derivatives with the shares as underlying, traded in either of the two stock exchanges; and/or</p> <p>(b) Units of mutual funds regulated by the Securities and Exchange Board of India, which have minimum sixty five per cent. of their investment in shares of body corporates listed on Bombay Stock Exchange or National Stock Exchange;</p>	Minimum five per cent. and upto fifteen per cent.

	<p>(c) Exchange Traded Funds/ Index Funds regulated by the Securities and Exchange Board of India that replicate the portfolio of either Bombay Stock Exchange Sensex Index or National Stock Exchange Nifty fifty Index;</p> <p>(d) Exchange Traded Funds issued by Securities and Exchange Board of India regulated mutual funds constructed specifically for disinvestment of shareholding of the Government of India in body corporates;</p> <p>(e) Exchange traded derivatives regulated by the Securities and Exchange Board of India having the underlying of any permissible listed stock or any of the permissible indices, with the sole purpose of hedging.</p>	
v.	<p>Asset Backed, Trust Structured and Miscellaneous Investments</p> <p>(a) mortgage based Securities or Residential mortgage based securities;</p> <p>(b) units issued by Real Estate Investment Trusts regulated by the Securities and Exchange Board of India;</p> <p>(c) Asset Backed Securities regulated by the Securities and Exchange Board of India.</p> <p>(d) Units of Infrastructure Investment Trusts regulated by the Securities and Exchange Board of India.</p>	Upto five per cent.

Provided that the portfolio invested under sub-clause (b) of clause (i) of the said Table shall not be in excess of ten percent of the total portfolio of the fund:

Provided further that, irrespective of the proportion of investments specified in clause (i) of the said table, exposure of a trust to any Individual Mutual Fund, under sub-clause (c) of the said clause, which has been set up as a dedicated fund for investment in Government Securities, shall not exceed five per cent. of its total portfolio at any point of time and fresh investments made in them shall not exceed five per cent. of the fresh accretions in the year:

Provided also that the investment stated in sub-clause (b) of clause (ii) shall be made only in such Tier-I bonds which are proposed to be listed in case of initial offering of the bonds and if such Tier-I bonds are listed and regularly traded, investment shall be made in such bonds of a Scheduled commercial Bank from the Secondary Market:

Provided also that the total portfolio invested, at any time, in Tier I bonds referred to sub-clause (b) of clause (ii) of the said Table shall not be more than two per cent. of the total portfolio of the fund; and

- (i) no investment in initial offerings shall exceed twenty per cent. of the initial offering,
- (ii) the aggregate value of Tier I bonds of any particular bank held by the fund at any point of time, shall not exceed twenty per cent. of such bonds issued by that Bank.

Provided also that for sub-clause (c) of clause (ii) of the said Table, a single rating of AA or above by a domestic or international rating agency will be acceptable:

Provided also that the debt securities covered under sub-clause (b) of clause (i) of the said Table shall be excluded from the securities covered under clause (ii) of the said Table.

Provided also that in sub-clause (e) of clause (ii), fresh investment in Debt Mutual Funds shall not be more than five per cent. of the fresh accretions invested in the year and the portfolio invested in them shall not exceed five per cent. of the total portfolio of the fund at any point in time.

Provided also that the investment under sub-clause (a), (b) and items (i) to (iv) of (f) of clause (ii) of the said Table shall be made only in such securities which have minimum AA rating or equivalent in the applicable rating scale from at least two credit rating agencies registered with Securities and Exchange Board of India under Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agency) Regulation, 1999.

Provided also that in case of item (iii) of the sub-clause (f) of clause (ii) of the said Table the ratings shall relate to the Non-Banking Financial Company and for item (iv) of the sub-clause (f) of clause (ii) of the said Table the ratings shall relate to the investment in eligible securities rated above investment grade of the scheme of the fund:

Provided also that if the securities or entities have been rated by more than two rating agencies, the two lowest of all the ratings shall be considered:

Provided also that investments under sub-clauses (a), (b) and sub-clause (f) of clause (ii) of the said Table requiring a minimum AA rating, shall be permissible in securities having investment grade rating below AA in case the risk of default for such securities is fully covered with Credit Default Swaps issued under Guidelines of the Reserve Bank of India and purchased along with the underlying securities and purchase amount of such Swaps shall be considered to be investment made under this clause:

Provided also that investment stated in sub-clause (a) of clause (iii) of the said Table in paper issued by body corporates shall be made only in such instruments which have minimum rating of A1 + by at least two credit rating agencies registered with the Securities and Exchange Board of India and if paper has been rated by more than two rating agencies, the two lowest of the ratings shall be considered:

Provided also that investment in sub-clause (a) of clause (iii) of the said Table in Certificates of Deposit of up to one year duration issued by scheduled commercial banks will require the bank to satisfy all conditions mentioned in sub-clause (d) of clause (ii) of the said table:

Provided also that the aggregate portfolio invested in such mutual funds stated in sub-clause (b) of clause (iv) of the said Table shall not be in excess of five per cent. of the total portfolio of the fund at any point in time and the fresh investment in such mutual funds shall not be in excess of five per cent. of the fresh accretions invested in the year:

Provided also that the portfolio invested in derivatives in terms of contract value shall not be in excess of five per cent. of the total portfolio invested in sub-clauses (a) to (d) of clause (iv) of the said Table:

Provided also that investment under clause (v) of the said Table shall only be in listed instruments or fresh issues that are proposed to be listed:

Provided also that investment under clause (v) of the said Table shall be made only in such securities which have minimum AA or equivalent rating in the applicable rating scale from at least two credit rating agencies registered by the Securities and Exchange Board of India under Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agency) Regulations, 1999:

Provided also that in case of the sub-clause (b) and (d) of the clause (v) of the said Table, the ratings shall relate to the rating of the sponsor entity floating the trust:

Provided also that if the securities/entities have been rated by more than two rating agencies, the two lowest of the ratings shall be considered:

Provided also that any proceeds arising out of exercise of put option, tenure or asset switch or trade of any asset before maturity can be invested in any of the permissible categories in the manner that at any given point of time the percentage of assets under that category shall not exceed the maximum limit prescribed for that category and also shall not exceed the maximum limit prescribed for the sub-categories, if any. However, asset switch because of any Reserve Bank of India mandated Government debt switch would not be covered under this restriction.

Provided also that fresh accretions to the fund shall be invested in the permissible categories specified in this investment pattern in a manner consistent with specified maximum permissible percentage amounts to be invested in each such investment category, while also complying with such other restrictions as made applicable for various sub-categories of the permissible investments:

Provided also that the turnover ratio, being the value of securities traded in the year divided by the average value of the portfolio at the beginning of the year and at the end of the year, should not exceed two.

Provided also that in the event of the rating of any instrument mentioned in the Table for being rated and their rating falling below the investment grade, as confirmed by One Credit Rating Agency registered under sub-section (1A) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the option of exit shall be considered and exercised, as appropriate, in a manner that is in the best interest of the subscribers and released fund shall be invested in accordance with the manner provided in the Table:

Provided also that if the fund has engaged services of professional fund manager or asset managers for management of its assets, payment to whom is made on the basis of the value of each transaction, the value of funds invested by them in any mutual fund mentioned in any of the clauses of the Table or Exchange Traded Funds or Index Funds shall be reduced before computing the payment due to them.

Explanation 1.— The manner of investment specified in this sub-rule shall apply to the aggregate amount of investible moneys with the fund in the previous year.

Explanation 2.—For the purposes of this sub-rule,—

- (i) Fresh accretions to the funds shall be the sum of un-invested funds from the past and receipts like contributions to the funds, dividend, interest, commission, amount received on the maturity of investment made prior to the 1st day of April, 2015 etc., as reduced by obligatory outgo during the financial year.
- (ii) the expression "Government securities" shall have the meaning assigned to it in clause (b) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956;
- (iii) the expression "Infrastructure" for the purposes of sub-clause (f) of clause (ii) of the Table shall have the meaning as referred to in Notification dated 2nd March, 2015 (F No 11/14/2013-PR) of Department of Financial Services.
- (iv) the expression "public financial institutions" shall have the meaning as assigned to it under section 2 of the Companies Act, 2013 (1 of 2013);
- (v) the expression "public sector company" shall have the meaning assigned to it in clause (36A) of section 2 of the Income-tax Act;
- (vi) the expression "securities" shall have the meaning assigned to it in clause (h) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956.]

[Notification No. 122/201, F. No. 370142/4/2016-TPL]

ABHISHEK GAUTAM, Under Secy. (Tax Policy & Legislation)

Note: The principle rules were published vide Notification No. S.O. 969 dated the 26th March, 1962 which has been amended from time to time, the last amendment being S.O. 4110 (E) dated 21st December, 2016.